वित्त निर्देश 25/2012

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 151/वित्त/चार/2012 रायपुर, दिनांक 01 मई, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़।

विषयः-बजट में ''अपरीक्षित नवीन मद'' के रूप में शामिल प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन ।

प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत् बजट में ''परीक्षित नवीन मद'' के रूप में सम्मिलित प्रस्तावों के स्वीकृति के लिये प्रशासकीय विभागों को रूपये 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित हैं, लेकिन ''अपरीक्षित मद'' के रूप में शामिल होने की स्थिति में स्वीकृति के लिये पृथक से अधिकार प्रत्यायोजित नहीं है । कतिपय मदों के लिये वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 एवं भाग-2 में प्रशासकीय विभाग को वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं ।

2. ''अपरीक्षित नवीन मद'' के प्रकरणों में स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा विकेन्द्रीकरण करते हुए **राज्य शासन द्वारा प्रशासकीय विभागों को रूपये 3 करोड़ तक की स्वीकृति का वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया है । इस अधिकार के प्रयोग के लिये निम्नानुसार प्रकिया एवं शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जाएगा :-**

<u>स्वीकृति की प्रकिया</u>

2.1 ऐसे प्रस्तावों के परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रशासकीय विभाग के स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी :-

(i)	विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	- अध्यक्ष
(ii)	विभागाध्यक्ष	- सदस्य
(iii)	वित्त विभाग का प्रतिनिधि (जो कि उप सचिव से कम स्तर का न हो)	- सदस्य
(iv)	प्रशासकीय विभाग का संयुक्त सचिव/उपसचिव अवर सचिव	- सदस्य सचिव

2.1.1 प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समिति की **बैठक से कम से कम 7 दिवस पूर्व नवीन मद के प्रस्ताव के संबंध में, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 503/चार/ब-4/2011, दिनांक 24/3/2011 अनुसार संक्षेपिका तथा कार्यसूची सदस्यों को उपलब्ध करायी जाए।**

2.1.2 **प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि के मध्य मतभिन्नता की स्थिति में प्रकरण वित्त विभाग को संदर्भित किया जाएगा।**

2.1.3 समिति के परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव पर विभाग के भारसाधक मंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

स्वीकृति संबंधी शर्तें :-

2.2 नवीन मद के प्रस्ताव में **पद सृजन तथा वाहन क्रय के प्रस्ताव सम्मिलित होने की स्थिति में इन मदों की स्वीकृति के लिये वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।**

2.3 वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों/ निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2.4 इस व्यवस्था के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के बजट में सम्मिलित सड़कों, पुल/पुलिया तथा जल संसाधन विभाग की लघु सिंचाई योजनाएं एवं एनीकट के प्रकरणों में, **वित्तीय वर्ष में जारी की जाने वाली कुल प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा, राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुये निर्धारित की जाएगी।**

2.5 बजट में नवीन मद के रूप में सम्मिलित item पर यदि उस वित्तीय वर्ष में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती है, तब प्रचलित प्रक्रिया अनुसार उसके आगामी वित्तीय वर्ष तक नवीन मद् वैध रहेगा।

3. वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 एवं भाग-2 में जिन अपरीक्षित नवीन मदों के लिये प्रशासकीय विभाग को 3 करोड़ से अधिक के वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित हैं, वे यथावत रहेंगे।

4. प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की प्रति वित्त विभाग एवं महालेखाकार को पृष्ठांकित की जाएगी।

5. उपर्युक्त अनुसार अधिकारों के प्रत्यायोजन के लिये वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 के सेक्शन-III में मद क्रमांक 4 के पश्चात् संलग्न पत्रक (परिशिष्ट-एक) अनुसार मद क्रमांक 5 शामिल किया जाता है ।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

<u>**संलग्न - उपरोक्तानुसार**</u>

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.एस. मिश्र)
प्रमुख सचिव
वित्त एवं योजना विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 152/वित्त/चार/12 रायपुर दिनांक 01.05.2012

प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव
वित्त एवं योजना विभाग

BOOK OF FINANCIAL POWERS
VOLUME I

SECTION III
POWERS DELEGATED IN RESPECT OF BUDGETARY MATTERS.

S.No.	Description	Authority Competent to exercise the Power	Extent of delegation	Condition
5.	Sanction of new items of expenditure included as "unscrutinized item" in the budget	Administrative Department (on recommendation of the committee constituted for this purpose)	`3.00 crores	Subject to the conditions that:- (i) If the expenditure involves creation of post or purchase of vehicle, prior approval of F.D. shall be obtained. (ii) The instructions / circulars regarding economy measures issued by F.D. from time to time shall be observed.

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Nayak D:\Documents and Settings\RAJESH\My Documents\VitNerdesh \pdf_2012\Doc File\25.doc